विधायकों की शपथ के बाद मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने बढ़ाई मंत्रिमंडल की अटकलें

चर्चाएं हैं कि दिल्ली में मत्रिमंडल गठन को लेकर होगा मंथन

- संभावना जताई जा रही है कि 23 या 24 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन
- सूत्रों की माने राज्य में 10 कैबिनेट और 5 राज्यमंत्री बनाये जा सकते हैं

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक बार फिर बुधवार रात दिल्ली पहुंचे। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर सूची तैयार होगी। माना जा रहा है कि गुरुवार दोपहर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस आएंगे उसके अगले दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।

राजस्थान में नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के बाद अब जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज गई हैं। मुख्यमंत्री सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका दोपहर 12:15 बजे दिल्ली से वापस लौटने का कार्यक्रम है।

माना जा रहा है कि दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन हो सकता है। पार्टी सूत्रों की मानें तो यह मंत्रिमंडल पहली बार में संक्षिप्त होगा, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री और पांच राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि इसी सप्ताह में मुख्यमंत्री भजनलाल का यह दिल्ली का दूसरा दौरा है। इससे पहले 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे। इस दौरान रात्रि विश्राम भी उन्होंने दिल्ली में किया था और अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति कुलदीप धनकड़ समेत तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल का विस्तार 23 या 24 दिसंबर को हो सकता है, क्योंकि 20 से 22 दिसंबर तक राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर के दौरे पर हैं। राज्यपाल के उदयपुर से वापस लौटने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले दो दिन बाद भजन लाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं।

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय
श्री बाबूलाल जी गुप्ता
का असामयिक निधन 19.12.2023 को हो गया। तीये की बैठक 21.12.2023 को दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक नगर निगम पार्क, ब्रह्मपुरी थाने के पास, आमेर रोड जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- राजकुमारी (धर्मपत्नी), विनोद-सुनीता, सुरेश- सुनीता (पुत्र- पुत्रवधु), मूलचन्द (चाचा), गोपाल, सत्यनारायण, निरंजन, शंकर, बृजमोहन, मुरारी (भ्राता), गरिमा- स्व.राजेश (बहन- बहनोई), आशा- गणपत, उषा- स्व.राजकुमार, रेणु- विनोद (पुत्री- दामाद), विवेक-किर्ती, पीयूष- कविता (पौत्र- पौत्रवधु), दिपेश (पौत्र), दर्ष (पडपौत्र), आशीष, सचिन, अभिषेक, विनय पराग, अंकिता, श्रेया (दोहिता, दोहिती) एवं समस्त धौला वाला परिवार।

मो.9414605725, 8619379347

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मानहानि प्रकरण में गजेन्द्र सिंह को नोटिस

जयपुर, (का.सं.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले से जुड़े आपराधिक मानहानि प्रकरण में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब तलब किया है। अदालत ने यह आदेश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में पूर्व सीएम गहलोत ने दिल्ली की विशेष अदालत के गत 13 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनकी रिवीजन याचिका को खारिज कर निचली अदालत में प्रकरण की सुनवाई का रास्ता साफ किया था।

आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति करें : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आमजन को सस्ती तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। इनका विस्तृत अध्ययन कर योजना बनाई जाए।

शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य में बिजली की मांग और आवश्यकता के बारे में विस्तृत कार्य-योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऊर्जा विभाग की ओर से आमजन को बिजली बचाने के बारे में जागरूक करने हेतु अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें तथा जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं आमजन से समय-समय पर फीडबैक लें।

लोकसभा चुनाव की तैयारी करें : प्रवीण गुप्ता

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राज्य विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बुधवार को सचिवालय में वीसी के माध्यम से डी- ब्रीफिंग की। उन्होंने बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से विधानसभा चुनाव के अनुभवों को जाना तथा लोकसभा चुनाव-2024 की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

गुप्ता ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण, सहायक मतदान केन्द्र, मतदान दिवस से पूर्व एवं मतदान दिवस के दिन मतदाता जागरूकता गतिविधियां, मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन, को लेकर विस्तार से चर्चा की।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं अविवाहित हूं। मैंने मेरे सगे भाई रामू के पुत्र सेवाराम को गोद ले लिया है। सेवाराम की परवरिश और विवाह मैंने ही कराये है एवं सेवाराम ही मेरी संपूर्ण देखभाल करता है। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मैंने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1238 हिस्सा 1/4, खसरा नंबर 1060, 740, 783 से 785, 789, 793, 794 मे हिस्सा 1/4 एंव खसरा नंबर 398,399, 410, 411, 415, 416 मे हि0 1/4 वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील चाकसू व मेरी समस्त चल/अचल संपति के बाबत सेवाराम के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा व रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर कर दिया है। इससे पूर्व मैंने अन्य किसी के पक्ष मे अपनी भूमि व अन्य चल/अचल संपति का कोई रहन, विक्रय, हस्तान्तरण आदि नही किया है। अगर कोई भी इस बाबत क्लेम या उजदारी करता है तो वह झूठा व अमान्य होंगा।

नंदकिशोर पुत्र माधो लोधा
ग्राम जयसिंहपुरा,चाकसू

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम निम्मी मित्तल से बदलकर स्वतंत्र मित्तल पत्नी विजय कुमार मित्तल रख लिया है। भविष्य में मुझे स्वतंत्र मित्तल के नाम से जाना जावे। पता:-43-बी, हाथीबाबू का बाग, पोलोविक्टरी, जयपुर, राजस्थान-302006

मैंने अपना नाम सैयद आकीफुद्दीन से बदलकर सैयद आकीफ अहमद रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए निंदर राव जी का रास्ता, चाँदपोल बाजार, जयपुर

I Sarwan Singh R/O H.No. 2, Kamal Gatta Colony, Tal Katora Road, Jaipur Have Changed my Name as Sarwan Singh Tanwar for all Future Purpose.

I service no 1079082H Ex BFR mahendra singh Rajawat S/O shrawan singh rajawat R/O village post lalwas tehsil jamwaramgarh district jaipur that have changed my wife name From PUSHPA KAUR is wrong entered in service record To PUSHPA KANWAR (DOB 12/9/1968) vide affidavit dated 20 Dec 2023 before district notary Jaipur

I service no 14427113W Ex NK ram singh choudhary S/O sedhu ram choudhary R/O dhani malera Vpo pragpura teh.kotputli district jaipur pin 303107 have changed my daughter name from REENA (DOB 10/10/1997) is wrong entered in service record To REENA CHOUDHARY (DOB 7/7/2000) vide affidavit dated 18 dec2023 before district notary Jaipur

I sarala babal is legally wedded spouse of army no 108202R Ex CPO Ramkaran singh R/O plot 110 NH 11 kalu ka bas Syaoo jaipur have changed my name From SARALA BABAL is wrong entered in service record To SARLA KUMARI JAT vide affidavit dated 18 dec 2023 before district notary Jaipur

I HAVE CHANGED MY NAME FROM OM SINGH KHANGAROT TO OM SINGH THEREFORE I WILL BE KNOWN OR DISTINGUISHED IN PUBLIC BY NEW NAME OF OM SINGH, 121 RAVLA DHANKYA 302012 JAIPUR CITY, RAJASTHAN

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य बाबु खां पुत्र स्त0 मुन्ना खां निवासी म. नं. 2551, बांदरी का नासिक, सिलावटों का मोहल्ला, चौकड़ी-रामचन्द्र जी, जयपुर मेरे पुत्रान् साबिर, रमजान, जाफर, कदीर व शाहिद मेरे कहे में नहीं है ना ही मेरी खिदमत करते है इस कारण मेरे समस्त पुत्रान् साबिर, रमजान, जाफर, कदीर व शाहिद को चल-अचल सम्पत्ति से जीवन से बेदखल कर दिया है कोई भी इनसे किसी भी प्रकार का लेन-देन करते हैं तो मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(जाहिद अली) एडवोकेट, मो.9001078233

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक:13512 दिनांक:20/12/2023

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 29/D-292 (EWS), (एरिया 30.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री रामदतार शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10205 दिनांक 13.02.2006 को जारी किया गया। पूनम खानदन्दानी पुत्री श्री दयाल दास के पक्ष मे उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1088/5401 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा किया गया। पूनम खानदन्दानी के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 08.03.2018 को उप पंजीयक-अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। पूनम खानदन्दानी द्वारा श्री कपिल देव पुत्र श्री भगतान सहाय को दिनांक 10.03.2023 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री कपिल देव द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 04.05.2023 के द्वारा श्रीमती प्रीती देवी पुत्री श्री मुकेश चन्द को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर, के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती प्रीती देवी पुत्री श्री मुकेश चन्द का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103104 दिनांक 18/12/2023

लोक सूचना

श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नि श्री शरद अग्रवाल जाति महाजन निवासी- प्लॉट नं. 51, गौरव नगर, सिविल लाईन्स, जिला जयपुर राजस्थान।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सुखदेवपुरा उर्फ नाटानीवाला, सांगानेर (जयपुर)	पूजा अग्रवाल	59/90	500	0.05
		पत्नि शरद अग्रवाल हिस्सा-पूर्ण जाति महाजन	62	2700	0.27
			65/100	900	0.09
			65/1	2300	0.23
				कुल	0.64

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकान पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18.12.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक: 13501 आम सूचना दिनांक: 19.12.2023

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 75/195 (EWS), (एरिया 35.10 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री वासुदेव पुत्र श्री भगवान दास को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 745 दिनांक 07.06.1996 को जारी किया गया। श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री कुन्दन लाल के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1997/3357 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा किया गया। श्री वासुदेव के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 23.09.2013 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती कमला देवी द्वारा श्री ओम प्रकाश दुसाद पुत्र स्व. श्री गंगा सहाय दुसाद दिनांक 13.05.2014 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री ओम प्रकाश दुसाद द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 09.05.2017 के द्वारा श्रीमती सरला दुसाद पत्नी श्री ओम प्रकाश दुसाद को विक्रय कर उप पंजीयक-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सरला दुसाद द्वारा श्रीमती शिल्पा जैन पत्नी श्री मुकेश जैन को दिनांक 18.10.2023 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती शिल्पा जैन द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 15.12.2023 के द्वारा सुश्री इशु जैन पुत्री श्री मुकेश जैन को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर, के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सुश्री इशु जैन पुत्री श्री मुकेश जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

संयुक्त प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
जिला एवं शैशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम जयपुर
रितुल शर्मा विरुद्ध यू.को. बैंक
प्रार्थना पत्र उत्तराधिकार
प्रार्थना-पत्र संख्या 2376/2022

नाम सत्येन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा जाति ब्राह्मण पता C/o वनस्थली विद्यापीठ निवाई जिला टोंक (राज)

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि उत्तराधिकार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल संलग्न है

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 08 माह 01 सन् 2024 को 10.30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 18 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर

मोहर अदालत

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई - निविदाएं आमंत्रित की जाती है । **क्र.सं. 1 एनआईटी संख्या** : ईएल/जेपी/41/2023-24 **कार्य का नाम** : Jaipur- Electrical work in connection with Raising of boundary wall at Central Hospital to ensure safety. **अनुमानित लागत** : 13,19,834/- **बयाना राशि** : 26400/- **निविदा खोलने की तिथि** : 18.01.2024 **क्र.सं. 2 एनआईटी संख्या** : ईएल/ जेपी/42/2023-24 **कार्य का नाम** : Bheslana(BILA) -Electrical work in connection with raising the level of PF No. 2 from Rail level to High level with extension of platform length to 576 meters. **अनुमानित लागत** : 8,02,890/- **बयाना राशि** : 16100/- **निविदा खोलने की तिथि** : 18.01.2024 **नोट: ई - निविदा की अंतिम तिथि एवं समय** : निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय** : निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पता** : http://www.ireps.gov.in

1318-CQ/23

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनियरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं. 1 निविदा संख्या/कार्य का नाम : इंजी./जेपी/2023-24/92** सहायक मण्डल इंजी. फुलेरा उपमंडल के फुलेरा यार्ड में पानी निकासी करने हेतु पानी निकासी के कार्य का प्रावधान। **अनुमानित लागतः** 23929972.23 **बिड प्रतिभूति राशि** : 269700/- **क्र.सं. 2 निविदा संख्या/कार्य का नाम : इंजी./जेपी/2023-24/93** वरिष्ठ मंडल इंजी (दक्षिण) जयपुर सैक्शन सैस की चौडाई एवं ट्रौली रिफ्यूज का मानकीकरण और फाल्स कटिंग को हटाना और सेस के मानकीकरण और बर्म निर्माण में उनका उपयोग करना। **अनुमानित लागतः** 23373990.75 **बिड प्रतिभूति राशि** : 266900/- **क्र.सं. 3 निविदा संख्या/कार्य का नाम : निविदा सं.-ई.-जेपी-2023-24-98** सहायक मंडल इंजी. फुलेरा उपमंडल में पुराने सी एण्ड डब्ल्यु स्टोर के नवीनीकरण का कार्य करना। **अनुमानित लागतः** 4641056.79 **बिड प्रतिभूति राशि** : 92800/- **1.** उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **नोटिस बोर्ड** - मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2.** निविदाफार्म **www.ireps.gov.in** पर जमा कराते समय निविदाफार्म के साथ पैरा 1 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज की स्केन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। **निविदा संख्या इंजी./जय/2023-24/92,93 व इंजी./जेपी/2023-24/98** तक की बन्द होने की तिथि **12.01.2024** समय **15.30** बजे एवं खुलने की तिथी **12.01.2024** समय **16.00** बजे

1313-CQ/23

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 298/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री भींवा राम जाट पुत्र श्री सुंडा राम जाट निवासी घोसल्या की ढाणी जैतपुरा, तहसील चौमूं, अनतपुरा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत शिवम् हेल्थ एण्ड एजुकेशन सोसायटी रेलवे लाईन के पास ढाणी भूरावाली ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर राज. के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 01.12.23 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 7.2.24

मोहर अदालत

आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू. उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्न लिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है । **1. कार्य का नाम** : जोधपुर मंडल के नई आरई बिल्डिंग डीआरएम कार्यालय, जोधपुर में कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए ऑडियो विजुअल सुविधा का प्रावधान का कार्य। **2. कार्य की अनुमानित लागत** : रुपये 26,36,583/- **3. ई निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता** : वरि.मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जोशी मार्ग जोधपुर **4. बयाना राशि (EMD)** : रुपये 52,700/- **5. ई निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय** : 11.01.2024 को 11.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस 11.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी । **6. वैब साईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से टेण्डर का विवरण देखा जा सकें । एवं खरीद की जा सकें ।** : www.ireps.gov.in **नोट** : - यह एक ई टेण्डर हैं इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वैब साईट पर टेण्डर डाले ।

1315-CQ/23

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

"मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है।"
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

- दावों का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में
- आधुनिक तकनीक से उपज का बेहतर अनुमान

7 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां

- 55 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त
- 16.06 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा का वितरण
- ₹1.50 लाख करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2023

नई सुविधा — बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपने घर बैठे ऐड ऐप द्वारा करें फसल बीमा

फसल बीमा से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बीमा भागीदार: AIC, Chola MS, Future Generali, ICICI Lombard, Kshema, Oriental Insurance, Reliance General Insurance, SBI general, Universal Sompo General Insurance

अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र | क्रॉप इंश्योरेंस ऐप https://play.google.com | पोस्ट ऑफिस | बैंक शाखा

@PMFBY

QR कोड स्कैन करें